दूरभाष/TEL : 26962819, 26567373
(EPABX) : 26565694, 26562133
: 26565687, 26562144
: 26562134, 26562122
फैक्स/FAX : 26960629, 26529745
Website : http:/www.dsir.gov.in
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित विभाग)
(AN ISO 9001:2008 CERTIFICED DEPARTMENT)

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग,
नई दिल्ली - 110016
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department of Scientific and Industrial Research
Technology Bhavan, New Mehrauli Road,
New Delhi - 110016

फ़ाइल संख्या: IRDPP-FI0Misc/6/2024-FI-DSIR दिनांक:30 मई, 2024

(ध्यानार्थ : अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक)

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(2एबी) के तहत वित्त वर्ष 2019-20 तक की अवधि के लिए डीएसआईआर द्वारा भेजे गए ईमेल/पत्रों के जवाब में कंपनियों द्वारा पहले से प्रस्तुत अपूर्ण 3सीएल आवेदनों के संबंध में विवरण/स्पष्टीकरण/दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि।

महोदया/महोदय,

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए कंपनियों द्वारा प्रस्तुत 3सीएल आवेदनों का संदर्भ ग्रहण करें। यह पाया गया है कि आर एंड डी व्यय की सूचना/ब्यौरे अथवा अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में अनेक आवेदन अपूर्ण हैं। विभाग ने ऐसी कंपनियों को आवेदन पूरा करने हेतु अनुस्मरण के लिए कई ईमेल/पत्र भेजे हैं। हालांकि, कई कंपनियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके अतिरिक्त, कुछ कंपनियां डीएसआईआर द्वारा पूर्व में किए गए पत्राचार के अनुसार सही सूचना प्रस्तुत नहीं कर रहीं हैं।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनियों से अनुरोध है कि वे डीएसआईआर द्वारा अनुरोध/मांगे गए जानकारी/विवरण/स्पष्टीकरण को तत्काल 30 जून, 2024 तक ई-मेल के माध्यम से (20 एमबी आकार तक की एकल पीडीएफ फाइल में स्कैन किए गए विवरण/दस्तावेजों के अनुलग्नक के साथ) डॉ पी के दत्ता, वैज्ञानिक "जी" और प्रमुख आईआरडीपीपी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, headfi-dsir@gov.in. को संबोधित करते हुए भेजें।

3. यह सूचित किया जाता है कि यदि 30 जून, 2024 तक, इन मामलों के संबंध में कंपनियों से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो वित्तीय वर्ष 2019-20 तक लंबित, अपूर्ण 3सीएल आवेदनों को बंद कर दिया जाएगा।

4. उपर्युक्त अंतिम तिथि के बाद भेजे गए/जमा किए गए ईमेल आवेदनों पर कार्यवाही हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदनों के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

(डॉ. पी.के.दत्त)
वैज्ञानिक 'जी', प्रमुख आईआरडीपीपी